इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40 रुपए

(आईएसओ 9000-2015 द्वारा प्रमाणित)

Committed to professional excellence

IIBF VISION

खंड संख्या 15 | अंक संख्या 05 | दिसम्बर, 2022 | पृष्ठों की संख्या - 9

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ.....2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ.....3
बैंकिंग जगत की घटनाएँ.....4
विनियामक के कथन.....4
आर्थिक संवेष्टन.....5
विदेशी मुद्रा.....5
शब्दावली.....6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी.....6
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां.....6
संस्थान समाचार.....7
नयी पहलकदमी.....8
बाजार की खबरें.....8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

मौद्रिक नीति की मुख्य बातें 5-7 दिसंबर, 2022

5 से 7 दिसंबर, 2022 तक आयोजित मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

- पुनर्खरीद (repo) दर 35 आधार अंकों की वृद्धि के साथ 6.25 प्रतिशत की गई।
- स्थाई जमा सुविधा (SDF) दर 6.00 प्रतिशत पर समायोजित की गई।
- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर और बैंक दर 6.50 प्रतिशत पर समायोजित की गई।
- वित्त वर्ष 23 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान 6.7 प्रतिशत पर कायम रखा गया। वित्त वर्ष 23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि का पूर्वानुमान 7 प्रतिशत से घटाकर 6.8 प्रतिशत किया गया।
- मौद्रिक नीति समिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि वृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुये मुद्रास्फीति बढ़ते लक्ष्य के भीतर ही रहे, इस मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित किया।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सीबीडीसी अर्थात ई-रुपए की प्रायोगिक शुरूआत की

अपनी थोक केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) की सफल प्रायोगिक शुरूआत के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर, 2022 से अपनी खुदरा केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी की प्रायोगिक शुरूआत कर दी है। इस प्रायोगिक परियोजना के लिए चार नगरों यथा- मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलूरू और भुबनेश्वर में भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को वितरण चैनलों के रूप में चयनित किया गया है।

सामान्यतया ई-रुपया अर्थात (e-रु.-R) के रूप में ज्ञात खुदरा केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी वैध मुद्रा का निरूपण करने वाली एक डिजिटल मुद्रा है तथा वह वर्तमान में संचालन के अधीन कागजी मुद्रा एवं सिक्कों की भांति ही उतने ही मूल्यवर्गों में जारी की जाती है। धारक को रकम का भुगतान करने के वचन के साथ गवर्नर के हस्ताक्षर सहित प्रत्येक नोट पर एक विशिष्ट क्रम संख्या होगी। प्रारम्भ में 1.71 करोड़ रुपए के मूल्य की डिजिटल मुद्रा/करेंसी जारी की गई है। टोकन माँगपत्र (indent) और बैंकों को प्रवर्तन प्रयोक्ता की मांग तथा बैंक की चलनिधि आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ाये जायेंगे।

प्रयोक्तागण सहभागी बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले एक डिजिटल वैलेट के जरिये ई-रूपये में लेनदेन कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों को मुद्रा/करेंसी उपलब्ध कराने हेतु वितरित खाता-बही प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा। तदुपरान्त बैंक मुद्रा/करेंसी को केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी बटुए/वैलेट में अंतरित करने के लिए अनुप्रयोग प्रोग्रामिंग अंतरापृष्ठ (API) का उपयोग करेंगे।

मोबाइल फोनों/उपकरणों पर सहजतापूर्वक भंडारणीय ई-रुपया विश्वास/भरोसा, सुरक्षा/निरापदता और निपटान संबंधी पूर्णता जैसी अर्पण (offering) संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से भौतिक नकदी की भांति ही है। ई-रुपए में लेनदेन व्यक्ति से व्यक्ति को तथा व्यक्ति से व्यापारी को किए जा सकते हैं जिसमें बाद वाले में क्यूआर कूटों का उपयोग किया जाना है। यह नकद लेनदेनों जैसी ही गुमनामी की सुविधा प्रदान करती है, क्योंकि वैलेट से वैलेट में विनिमय बैंकों के कोर बैंकिंग समाधान में प्रदर्शित नहीं होगा। जहां ई-रु.R मे किसी प्रकार का ब्याज अर्जन नहीं होता, वहीं इसे बैंक जमाराशियों जैसे अन्य रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक और जापानी वित्तीय सेवा एजेंसी के बीच उन्नत सीमा-पार वाली केंद्रीय प्रतिपक्षकार गतिविधियों के लिए सहयोग

भारतीय रिजर्व बैंक और जापानी वित्तीय सेवा एजेंसी (FSA) केंद्रीय प्रतिपक्षकारों (CCPs) के क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक साथ हो लिए हैं। इस प्रतिबद्धता का परिणाम दोनों देशों के बीच सम्बन्धों में गहनता, पारस्परिक वार्तालाप तथा साझे हित एवं चिंताओं से जुड़े मामलों में अपेक्षाकृत सुदृढ़ सूचना के आदान-प्रदान के रूप में सामने आएगा। दोनों ही देशों के अधिकार-क्षेत्रों (jurisdictions) ने भी अपने-अपने क़ानूनों और विनियमों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के प्रति अपनी रुचियों की पुष्टि कर दी है। उक्त व्यवस्था से सीमा-पार वाली केंद्रीय प्रतिपक्षकारों की गतिविधियों के संबंध में बेहतर समझदारी, सुस्पष्टता एवं सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, इसप्रकार दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्थाओं की वित्तीय सुदृढ़ता सुनिश्चित होगी।

केंद्र द्वारा भारत के पहले संप्रभु हरित बांड/सावरेन ग्रीन बांड का ढांचा अनुमोदित

भारत के संप्रभु हरित/सावरेन ग्रीन बांड के ढांचे को केंद्रीय वित्त और कंपनी कार्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त हो गया है, इसप्रकार पेरिस

करार के अधीन अंगीकृत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (NDCs) के लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ बनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इससे पात्र हरित (green) परियोजनाओं में वैश्विक एवं घरेलू निवेश आकर्षित करने में सहायता भी प्राप्त होगी।

हरित/ग्रीन बांड विशिष्ट रूप से पर्यावरणीय रूप से वहनीय एवं जलवायु के अनुकूल परियोजनाओं में निवेश के लिए निधियाँ जुटाने हेतु वित्तीय लिखत होते हैं। पर्यावरणीय वहनीयता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें नियमित बाँड़ों की तुलना में अपेक्षाकृत कमतर पूंजी लागत वाले बना देती है। भारत में इसप्रकार के बाँड़ों के प्रवर्तन से प्राप्त होने वाली राशियों को अर्थव्यवस्था की कार्बन प्रबलता कम करने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में अभिनियोजित किया जाएगा।

उक्त ढांचा अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार संघ (ICMA) के हरित/ग्रीन बांड सिद्धान्त 2021 में यथा-वर्णित चार घटकों का पालन करने के लिए तैयार किया गया है। ये घटक निम्नानुसार हैं :

(i) प्राप्त राशियों का उपयोग : संप्रभु/सावरेन हरित/ग्रीन बाँड़ों से जुटाई गई निधियों का उपयोग उक्त ढांचे में यथा-निर्धारित पात्र हरित/ग्रीन परियोजनाओं के वित्तीयन/पुनर्वित्तीयन के लिए किया जाना चाहिए।

(ii) परियोजना मूल्यांकन एवं चयन की प्रक्रिया : परियोजनाओं का मूल्यांकन एवं चयन करने हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा गठित हरित वित्त कार्यकारी समिति (GFWC) की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जाएगी, मूल्यांकन का प्रारम्भिक उत्तरदायित्व संबन्धित मंत्रालय/विभाग का होगा।

(iii) प्राप्त राशियों का प्रबंधन : जुटाई गई प्राप्त राशियों को भारत की समेकित निधि (CFI) में जमा किया जाएगा जिससे ये निधियाँ पात्र हरित/ग्रीन परियोजनाओं को उपलब्ध कराई जाएंगी।

(iv) रिपोर्टिंग : संप्रभु हरित/ सावरेन ग्रीन बाँड़ों के जरिये जुटाई गई प्राप्त राशियों के आबंटन तथा इन प्राप्त राशियों द्वारा निधीयन की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव के विवरण देते हुये एक रिपोर्ट निवेशकों को उपलब्ध कराई जाएगी जिससे प्राप्त राशियों के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को कमतर जमा संग्रहण के बारे में अपनी चिंता से अवगत कराया

पिछले एक दशक में अपेक्षाकृत धीमे जमा संग्रहण की तुलना में बैंक ऋण में तीव्र वृद्धि के संबंध में चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कतिपय बैंकों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। इस बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने बैंकों को सतत रूप से उभरती स्थूल-आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखने तथा उनसे सही समय पर निपटने हेतु सक्रिय उपाय करने की सलाह दी। इससे उनके तुलनपत्रों पर पड़ने वाले संभाव्य प्रभाव में कमी लाने और वित्तीय जोखिमों को उनके अत्यधिक हानिकर होने से पूर्व रोकने में सहायता प्राप्त होगी।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

नकदी-प्रवाह पर आधारित उधार को बढ़ावा देने हेतु माल और सेवा कर नेटवर्क लेखा समाकलक ढांचे के तहत वित्तीय सूचना प्रदाता सूची में शामिल

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को नकदी-प्रवाह पर आधारित उधार को सुगम बनाने के उद्देश्य से माल और सेवा कर नेटवर्क (GSTN) को लेखा समाकलक ढ़ाचे के अधीन वित्तीय सूचना-प्रदाता (FIP) सूची में शामिल कर लिया गया है। इस विशिष्ट प्रयोजन हेतु माल और सेवा कर नेटवर्क तथा माल और सेवा कर विवरणियाँ यथा- फार्म जीएसटीआर-1 और फार्म जीएसटीआर-3बी ऐसी वित्तीय सूचना होगी जिसे राजस्व विभाग द्वारा विनियमित किया जाएगा। वित्तीय सूचना-प्रदाता में बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs), आस्ति प्रबंधन कंपनियों, निक्षेपागार (depository), निक्षेपागार सहभागियों, बीमा कंपनियों तथा पेंशन निधियों का समावेश है।

वित्त वर्ष 23, वित्त वर्ष 24 में किसान क्रेडिट कार्ड-फसल ऋण पर ब्याजगत अनुदान जारी रहेगा

2022-23 और 2023-24 वित्त वर्षों के लिए आशोधन के साथ ब्याजगत अनुदान (subvention) योजना को जारी रखते हुये किसान क्रेडिट कार्डों के माध्यम से 300,000 रुपए तक के अल्पावधिक ऋणों के लिए ब्याज दर वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 24 के लिए 1.5% की ब्याजगत सहायता (interest subsidy) सहित 7% के रूप में जारी रहेगी। शीघ्र ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की एक अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्राप्त होगी, इसप्रकार उनकी समग्र प्रभार्य (chargeable) ब्याज दर 4% हो जाएगी। ये ऋण अल्पावधिक फसल ऋण होंगे तथा पशुपालन, डेरी उद्योग, मत्स्यपालन तथा मधुमक्खी पालन जैसी सम्बद्ध गतिविधियों के लिए अल्पावधिक ऋण

होंगे। ब्याजगत अनुदान स्वयं अपने संसाधनों का उपयोग करने वाले ऋणदाताओं यथा- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों (ग्रामीण एवं कस्बाई शाखाओं), लघु वित्त बैंकों (SFBs) और कम्प्यूटरीकृत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) को दिया जाएगा।

चलनिधि व्याप्ति अनुपात के परिकलन हेतु बैंकों की एक-दिवसीय स्थायी जमा सुविधा की शेषराशियां स्तर-1 वाली आस्तियों के रूप में श्रेणीकृत

बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास स्थायी जमा सुविधा (SDF) के तहत रखी गई एक-दिवसीय (overnight) शेषराशियों को तात्कालिक प्रभाव से चलनिधि व्याप्ति अनुपात (LCR) के परिकलन हेतु स्तर-1 वाली उच्च गुणवत्तापूर्ण अनिरुद्ध (liquid) आस्ति के रूप में पात्र बना दिया गया है। यह परिवर्तन स्थानीय क्षेत्र बैंकों (LABs), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) तथा भुगतान (Payment) बैंकों के लिए लागू/प्रयोज्य होगा।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने स्वयं अपने एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ एप न रखने वाली संस्थाओं के लिए भीम एप को मुक्त स्रोत लाइसेन्स की मान्यता दी

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने भीम एप मुक्त स्रोत (open source) लाइसेन्स माडेल की शुरूआत की है जो भीम एप के स्रोत कूट को स्वयं अपने एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (UPI) न रखने वाली विनियमित संस्थाओं को लाइसेंसीकृत किए जाने में समर्थ बनाएगा। इस मुहिम का उद्देश्य स्वयं अपने मोबाइल बैंकिंग एप न रखने वाले काफी बड़ी संख्या में बैंकों को भारत की सबसे बड़ी भुगतान प्रणाली एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ, की सहजता से उपलब्ध होने वाली विशेषताओं तक पहुँच की सुविधा प्रदान करते हुये सशक्त बनाएगा। यह इन संस्थाओं के लिए एक किफ़ायती और त्वरित बाजार समाधान (quick-to market solution) की सुविधा उपलब्ध कराने का वचन देता है। इसे अपना लिए जाने पर इन संस्थाओं को ऐसी नयी विशेषताओं का लाभ भी प्राप्त होगा जो भविष्य में भीम एप पर प्रारम्भ की जाएंगी।

विनियामक के कथन

ग्राहक संरक्षण, पारदर्शिता सूक्ष्मवित्त विनियमनों के मूल उद्देश्य हैं : भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर राव

एमफिन्स इंडिया सूक्ष्मवित्त (MFIN's India Microfinance) पुनरीक्षण की शुरूआत के अवसर पर मुख्य व्याख्यान देते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री राजेश्वर राव ने कहा कि सूक्ष्मवित्त क्षेत्र के लिए विनियामक प्रणाली में सुधार लाते समय सूक्ष्मवित्त विनियमन में ग्राहक संरक्षण मुख्य उद्देश्य रहा है तथा वह भारतीय रिजर्व बैंक का निर्देशक बिन्दु (guiding light) भी रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिक वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रतिस्पर्धा एवं पारदर्शिता के माध्यम से अपवंचितों के हितों को संरक्षित रखते हुये उनकी सेवा करने हेतु एक समर्थकारी वातावरण बनाने के लिए नियम-आधारित दृष्टिकोण से आगे बढ़कर सिद्धान्त-आधारित दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास किया है। श्री राव को आशा है कि उक्त विनियामक सुधार एक समावेशी एवं उत्तरदाई सूक्ष्मवित्त क्षेत्र का विकास करने हेतु प्रेरणा प्रदान करेंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर पात्रा ने मौद्रिक नीति में सूचना संबंधी व्यवरोधों का उल्लेख किया

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री माइकल पात्रा ने कहा है कि भारत में मौद्रिक नीति के संचालन में सूचना संबंधी व्यवरोधों तथा डेटा संग्रहण की रीति से जुड़ी अड़चनों का सामना करना पड़ता है। डेटा की व्याप्ति (coverage), बारंबार संशोधन, पश्च-प्रभाव (lags) कुछ ऐसे व्यवधान हैं जिनका नीति-निर्धारक को अपेक्षाकृत नयी मौद्रिक नीतियों का जैसे-तैसे प्रवर्तन (eke out) करते समय सामना करना पड़ता है। उस पृष्ठभूमि में नीति-निर्धारक को ऐसे संकट के समय, जब उक्त समिति को भविष्य मे सुसंगत लक्ष्य-चरों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए विन्टेज डेटा (vintage data) के आधार पर 'अंधेरे में तीर' चलाना पड़ता है।

कर की अकुशलता सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा सहभागिता को हतोत्साहित करती है : टी. रबी शंकर

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री टी॰ रबी शंकर ने यह रहस्योद्घाटन किया है कि सूचकांकीकरण का लाभ प्रदान करने वाली पारस्परिक निधियों की तुलना में सरकारी प्रतिभूति बाजार (G-sec) में खुदरा सहभागिता के प्रति सीमित अनुक्रिया के पीछे निहित एक महत्वपूर्ण कारण है कर की अकुशलता। विषम (asymmetric) लेखांकन मानदंड जो व्यापार के लिए प्रोत्साहन को विकृत कर

देते हैं, उसके साथ ही प्रतिरक्षण (hedging) संबंधी कार्यकलापों में अक्षमता भी पैदा करते हैं, एक अन्य हतोत्साहित करने वाला कारक सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त, सरकारी प्रतिभूति (G-sec) और कारपोरेट बांड बाजार में निवेशकों (बैंक, बीमा कंपनियाँ, पेंशन निधियाँ, भविष्य निधियाँ) की खरीद एवं रोक रखने वाली श्रेणी की प्रचुरता (preponderance) व्यापार/ क्रय-विक्रय कार्यकलाप को एक-दिशिक (uni-directional) बना देती है तथा अस्थायी अतिलंघन (overshoots) की स्थिति में पहुंचा देती है। उप गवर्नर का कहना है कि बाजार का संवर्गीकरण चलनिधि को खंडों में विभाजित कर देता है तथा कीमत में भिन्नता ला देता है जिससे बेंचमार्कों की प्रभावोत्पादकता में कमी आ जाती है। इसप्रकार, मूल्य-निर्धारण में (और इसलिए बेंचमार्कों को) लाभ उपचित हों, इस उद्देश्य से यह आवश्यक है कि कीमत संबंधी आवेग तटवर्ती (onshore) से अपतटीय (offshore) स्थलों तक और उसके विपरीत क्रम में मुक्त रूप से संचालित हों।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार की गई अक्तूबर, 2022 की मासिक आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार कुछेक मुख्य आर्थिक संकेतकों के कार्य-निष्पादन इसके नीचे दर्शाये गए हैं :

- जिंसों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में कमी आने के परिणामस्वरूप थोक मुद्रास्फीति में कमी आ रही है जो मई, 2022 के लगभग 16.6% के स्तर से घटकर अक्तूबर, 2022 में 8.4% रह गई।
- सितंबर, 2022 के लिए टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के मामले में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) 105.6 बिन्दु पर रहा।
- 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति (G-secs) का प्रतिफल नवंबर, 2022 के लिए 7.32% रहा।
- सितंबर, 2022 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के घरेलू/पारिवारिक मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण से यह पता चला कि तीन माह और एक वर्ष आगे की प्रत्याशित मुद्रास्फीति की दरें जुलाई, 2022 के सर्वेक्षण में प्रदर्शित क्रमश: 10.3% और 10.5% की तुलना में बढ़कर क्रमश: 10.8% और 11.0% हो गईं।
- अक्तूबर, 2022 में जारी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के बहु-आयामी गरीबी सूचकांक (MPI) में यह अनुमान लगाया गया है कि पिछले 15 वर्षों के दौरान भारत में मौजूद बहु-आयामी गरीबी 41.5 करोड़ लोगों की थी।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के रिकार्ड के आधार पर सितंबर, 2022 में निवल पे-रोल परिवर्धनों में 46% की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज हुई जिससे आर्थिक गतिविधि में तेजी के साथ अर्थव्यवस्था के उन्नत औपचारिकीकरण (formlization) का पता चलता है।
- पीएमआई विनिर्माण और पीएमआई सेवा के रोजगार घटक विस्तारवादी क्षेत्र में बने रहे।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	25 नवम्बर, 2022 के दिन करोड रुपए	25 नवम्बर, 2022 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	4494373	550142
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	3980973	487289
1.2 सोना	326282	39938
1.3 विशेष आहरण अधिकार	146083	17881
1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधियाँ	41034	5033

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

दिसम्बर, 2022 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के लिए वैकल्पिक संदर्भ दरों (ARRs) की आधार दरें

मुद्रा	दरें
अमरीकी डालर	3.80
जीबीपी	2.9278
यूरो	1.403
जापानी येन	-0.077
कनाडाई डालर	3.7600

मुद्रा	दरें
आस्ट्रेलियाई डालर	2.85
स्विस फ्रैंक	0.459359
न्यूजीलैंड डालर	4.25
स्वीडिश क्रोन	1.642
सिंगापुर डालर	3.6561

मुद्रा	दरें
हांगकांग डालर	3.40471
म्यामार रुपया	2.73
डैनिश क्रोन	1.1760

स्रोत: www.fbil.org.in

शब्दावली

लेखा समाकलक (AA)

लेखा समाकलक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा (एए लाइसेन्स सहित एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) विनियमित संस्था का एक ऐसा प्रकार होता है जो किसी व्यक्ति की उस वित्तीय संस्था जिसमें उन्होंने खाता खोल रखा है, सूचना सुरक्षित रूप से प्राप्त कर और उसकी एए नेटवर्क में किसी अन्य विनियमित वित्तीय संस्था के साथ डिजिटल विधि से हिस्सेदारी (share) कर सकता है। डेटा में उस व्यक्ति की सहमति के बिना हिस्सेदारी नहीं की जा सकती।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

ऋण-शोधन-क्षमता अनुपात

ऋण-शोधन क्षमता अनुपात एक ऐसा प्रमुख/मुख्य माप (metric) होता है जिसका उपयोग किसी उद्यम की अपनी दीर्घावधिक ऋणगत बाध्यताओं को पूरा करने में उसकी योग्यता/उसके सामर्थ्य को मापने के लिए किया जाता है तथा इसका उपयोग प्राय: संभावित व्यावसायिक ऋणदाताओं द्वारा किया जाता है। ऋण-शोधन-क्षमता से इस बात का पता चलता है कि किसी कंपनी का नकदी-प्रवाह उसकी दीर्घावधिक बाध्यताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं और इसप्रकार वह उसकी वित्तीय स्थिति का एक माप होता है। प्रतिकूल अनुपात में कुछेक ऐसी संभावनाओं का पता चल सकता है कि कोई कंपनी अपनी ऋणगत बाध्यताओं को पूरा करने में चूक करेगी।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

दिसम्बर, 2022 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
दिवाला एवं शोध अक्षमता संहिता 2016 के माध्यम से द्रावग्रस्त आस्तियों का समाधान	**5 से 6 दिसम्बर**	**प्रौद्योगिकी पर आधारित**
कृषि वित्तीयन	**6 से 8 दिसम्बर**	**वही**
प्रमाणित ऋण व्यावसायिक	**9 से 11 दिसम्बर**	**वही**

शाखा प्रबन्धकों के लिए नेतृत्व और गैर-तकनीकी (soft) कौशल का विकास	12 से 13 दिसम्बर	वही
विदेशी मुद्रा परिचालन	12 से 14 दिसम्बर	वही
प्रमाणित लेखांकन एवं लेखा-परीक्षा व्यावसायिक	13 से 15 दिसम्बर	वही
तुलनपत्र वाचन एवं अनुपात विश्लेषण	15 से 16 दिसम्बर	वही
व्यापार पर आधारित धन-शोधन पर कार्यक्रम	19 से 20 दिसम्बर	वही
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को उधार तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अग्रिमों की पुनरसंरचना	19 से 21 दिसम्बर	वही
वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रमाणपत्र	20 से 22 दिसम्बर	वही

संस्थान समाचार

आईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी - संशोधित पाठ्यक्रम की शुरूआत

संशोधित पाठ्यक्रम के अधीन विषयों, परीक्षा के प्रतिमान, विषयों के लिए उपलब्ध होने वाले सम्मान/रुतबों, उत्तीर्णन हेतु समय-सीमा, उत्तीर्णन मानदंड आदि के संबंध में विस्तृत सूचना वेबसाइट पर डाली गई है। इस संबंध में संस्थान के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने पाठ्यक्रम को संशोधित किए जाने की आवश्यकता पर सदस्यों को एक सदेश भी संबोधित किया है। संशोधित पाठ्यक्रमों के अधीन जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी परीक्षाएँ मई/जून, 2023 और उसके बाद से आयोजित की जाएंगी। पुराने पाठ्यक्रम (वर्तमान पाठ्यक्रम) के अनुसार जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी के अधीन अंतिम परीक्षाएँ नवंबर/दिसंबर, 2022 के दौरान आयोजित की जाएंगी जिसके बाद उन्हें बंद कर दिया जाएगा। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फ़ाइनेंस हीरक जयंती एवं सी. एच. भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च फ़ेलोशिप (DJCHBBORF)- 2022-23 के लिए आवेदन आमंत्रित करता है

संस्थान हीरक जयंती एवं सी॰ एच॰ भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च फ़ेलोशिप (DJCHBBORF)- 2022-23 के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। इस फ़ेलोशिप का उद्देश्य सफल अभ्यर्थी को भारत अथवा विदेशों में बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में अद्यतन घटनाओं पर शोध अध्ययन करने का अवसर प्रदान करना है। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2023 है। अधिक विवरण के लिए हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

आत्म-संगामी ई-शिक्षण पाठ्यक्रम के उत्तीर्णन मानदंड में संशोधन

डिजिटल बैंकिंग एवं बैंकिंग में आचारशास्त्र में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के लिए आत्म-संगामी ई-शिक्षण विधि के अधीन अंतिम मूल्यांकन/परीक्षा हेतु उत्तीर्णन अंकों को 70% से संशोधित करके 60% कर दिया गया है। यह 1 मार्च, 2022 को या उसके बाद आत्म-संगामी ई-शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए प्रभावी होगा।

प्रमाणित बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शुरूआत

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स (IIBF) ने भारतीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (National Institute of Securities Markets) और राष्ट्रीय बीमा अकादमी (NIA) के सहयोग से 11 फरवरी, 2022 को प्रमाणित बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा (BFSI) व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रौद्योगिकीय विधि से शुरूआत की। यह पाठ्यक्रम अनूठा एवं बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र में आजीविका अपनाने की इच्छा रखने के आकांक्षियों को उपलब्ध कराई जाने वाली अपने ढंग की एक विशिष्ट पहलकदमी है। यह 9 महीनों की अवधि में पूरा किए जाने वाला 187 घंटों का एक ई-शिक्षण कार्यक्रम है। उदघाटन भाषण संबन्धित संस्थानों के पदाधिकारियों द्वारा दिये गए तथा विशेष व्याख्यान भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यपालक श्री सुनील मेहता और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री सत्यजीत त्रिपाठी द्वारा दिये गए। उक्त कार्यक्रम में महाविद्यालयों और बैंकरों की अच्छी-ख़ासी संख्या में उपस्थिति रही।

सब के लिए ई-शिक्षण

संस्थान ने सब के लिए ई-शिक्षण की शुरूआत की है जिसमें कोई भी व्यक्ति, उसकी सदस्यता की स्थिति/हैसियत अथवा परीक्षा हेतु पंजीकरण की स्थिति/हैसियत चाहे जैसी भी हो, संस्थान द्वारा बैंकिंग एवं वित्त पर तैयार किए गए विविध सम-सामयिक विषयों पर ई-शिक्षण माँड्यूल तक पहुँच सकता है। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

आगामी अंक के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तु

बैंक क्वेस्ट के अक्तूबर - दिसंबर, 2022 तिमाही के लिए आगामी अंक हेतु विषय-वस्तु है: 'Growing importance of co-lending in Financial Intermediation'।

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने - आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/ दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि

(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2022 से जुलाई, 2022 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक//कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2021 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2022 से जनवरी, 2023 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2022 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

बाजार की खबरें

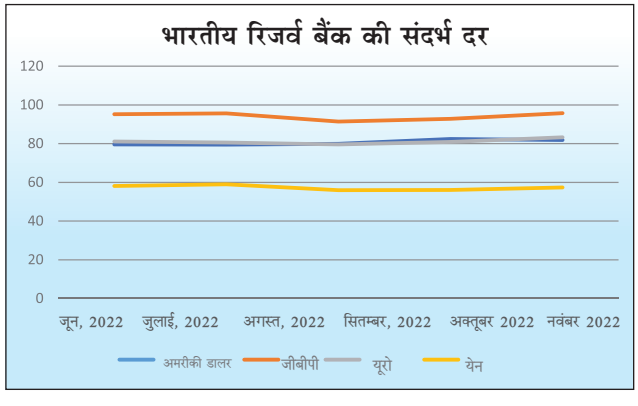

स्रोत: एफबीआईएल

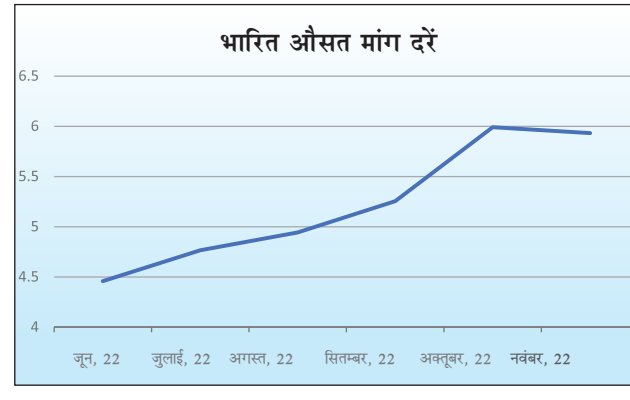

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

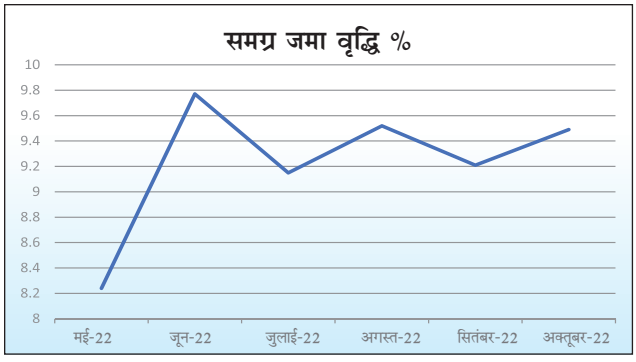

स्रोत : अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अक्तूबर, 2022

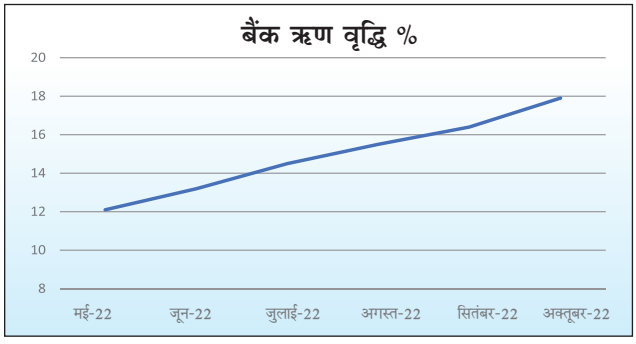

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

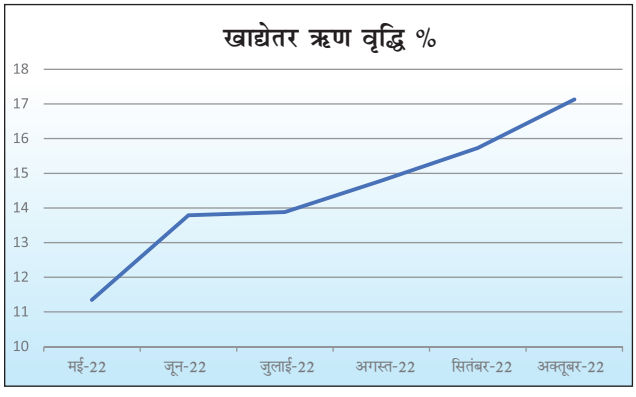

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समशोधन निगम लिमिटेड, अक्तूबर, 2022

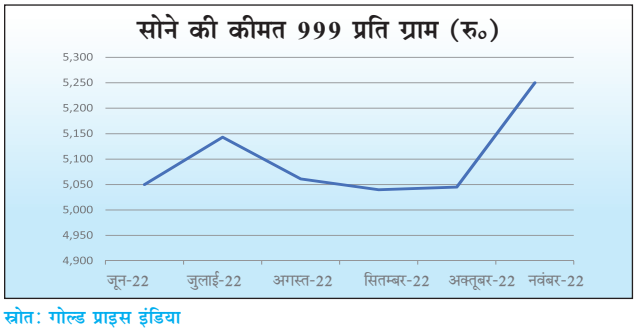

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

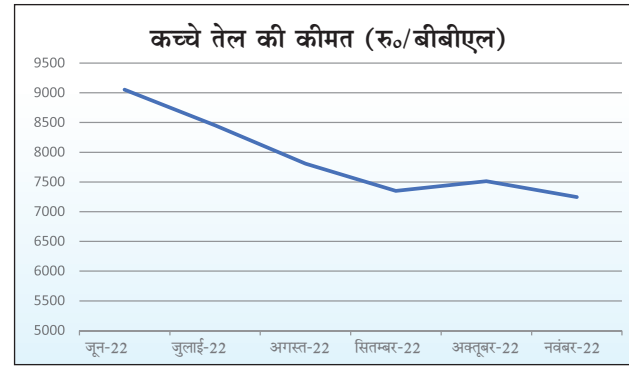

स्रोत : पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

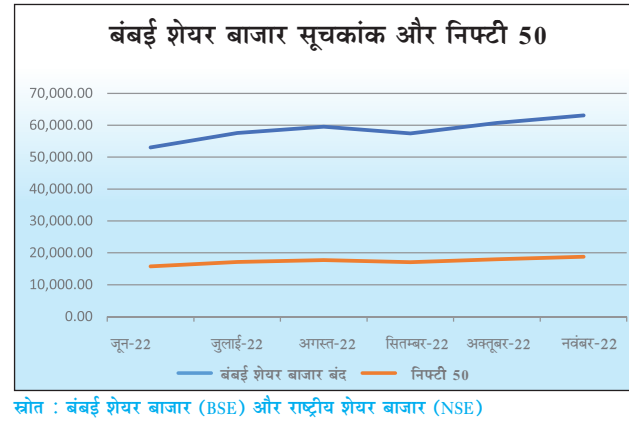

स्रोत : बंबई शेयर बाजार (BSE) और राष्ट्रीय शेयर बाजार (NSE)

Printed by Biswa Ketan Das, **Published by** Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Biswa Ketan Das

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in